

The Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Madhya Pradesh Amendment Act, 2023

Act No. 23 of 2023

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 393]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2023—पौष 6, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2023

क्र. 20805-208-21-अ (प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्निलखित अधिनियम जिस पर दिनांक 17 दिसम्बर 2023 को राष्ट्रपति महोदया की अनुमित प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत कुमार व्यास, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् २०२३

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) मध्यप्रदेश संशोधन अधिनियम, २०२३ विज्ञा

विषय-सूची

धाराएं :

- १. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
- २. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, २००३ का संख्यांक ३४ का संशोधन.
- ३. धारा ३ का संशोधन.
- ४. धारा ४क का अन्त:स्थापन.
- ५. धारा १२ का संशोधन.
- ६. धारा १३क का अन्त:स्थापन.
- ७. धारा २१क का अन्त:स्थापन.
- ८. धारा २७क का अन्त:स्थापन.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् २०२३

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) मध्यप्रदेश संशोधन अधिनियम, २०२३

दिनांक 17 दिसम्बर 2023 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 27 दिसमबर 2023 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, २००३ को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:--

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

- १. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) मध्यप्रदेश संशोधन अधिनियम, २०२३ है.
 - (२) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, २००३ का संख्यांक ३४ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, २००३ (२००३ का ३४) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा ३ का संशोधन.

- ३. मूल अधिनियम की धारा ३ में,-
 - (एक) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 - (ग क) ''स्थापना'' से अभिप्रेत है, आवासीय होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय या लोक आमोद-प्रमोद या मनोरंजन का अन्य स्थान और इसमें ऐसी प्रकृति की अन्य स्थापना सम्मिलित है जैसी कि राज्य स्थापना स्राम्मिलत है जैसी कि राज्य स्थापना स्राम्मिलत है जैसी कि राज्य स्थापना स्राम्मिलत है जैसी कि राज्य स्थापना स्थापना होरा घोषित करे;'';
 - (दो) खण्ड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
 - ''(ङ क)''हुक्का बार'' से अभिप्रेत है, ऐसा स्थान जहां लोग सामुदायिक हुक्का या नारगिल से तम्बाकू या अन्य समरूप उत्पादों से धूम्रपान करने के लिए इकट्ठे होते हैं, जो कि एकल रूप से या संयुक्त रूप से उपलब्ध कराया जाता है;''.

धारा ४क का अन्तः स्थापन.

४. मूल अधिनियम की धारा ४ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

हुक्का बार का प्रतिषेध.

- ''४क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी स्थान पर भोजनालय को सम्मिलित करते हुए, हुक्का बार नहीं खोलेगा या नहीं चलाएगा.
- स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए शब्द ''भोजनालय'' से अभिप्रेत है, ऐसा स्थान जहां आगन्तुकों के लिए किसी प्रकार का भोजन या जलपान उपलब्ध कराया जाता है या उसमें उपभोग के लिए बेचा जाता है.''.

५. मूल अधिनियम की धारा १२ में, उपधारा (१) में, खण्ड (ख) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अर्ध विराम और शब्द ''या'' स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:— धारा १२ का संशोधन.

- ''(ग) जहां कोई हुक्का बार चलाया जा रहा है.''.
- ६. मूल अधिनियम की धारा १३ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''१३क. यदि कोई पुलिस अधिकारी, जो उपनिरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी श्रेणी का अधिकारी हो, जिसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि धारा ४क के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है, तो वह हुक्क़ा बार की विषयवस्तु या साधन के रूप में उपयोग की गई किसी सामग्री या वस्तु का अभिग्रहण कर सकेगा.''.

धारा १३क का अन्तःस्थापन. हुक्का बार की सामग्री या वस्तु के अभिग्रहण की शक्ति.

७. मूल अधिनियम की धारा २१ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''२१क. जो कोई धारा ४क के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा किन्तु एक वर्ष से कम का नहीं होगा और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा किन्तु जो अचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दण्डनीय होगा.''.

धारा २१क का अन्तःस्थापन. हुक्का बार चलाने के लिए दण्ड.

८. मूल अधिनियम की धारा २७ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''२७क. धारा ४क के अधीन अपराध संजेय होगा.''.

धारा २७क का अन्तःस्थापन. धारा ४क के अधीन अपराध का संज्ञेय होना.

。自己自己国际代码信息 自己

or: .x:(1) (3, ;3, \)

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2023

क्र. 20805-208-21-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) मध्यप्रदेश संशोधन अधिनियम, 2023 (क्रमांक 23 सन् 2023) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत कुमार व्यास, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT NO. 23 OF 2023

THE CIGARETTES AND OTHER TOBACCO PRODUCTS (PROHIBITION OF ADVERTISEMENT AND REGULATION OF TRADE AND COMMERCE, PRODUCTION, SUPPLY AND DISTRIBUTION) MADHYA PRADESH AMENDMENT ACT, 2023

TABLE OF CONTENTS

Sections:

- 1. Short title and commencement.
- Amendment of Central Act No. 34 of 2003 in its application to the State of Madhya Pradesh.
- 3. Amendment of Section 3.
- 4. Insertion of Section 4A.
- 5. Amendment of Section 12.
- 6. Insertion of Section 13A.
- 7. Insertion of Section 21A.
- 8. Insertion of Section 27A.

MADHYA PRADESH ACT NO. 23 OF 2023

THE CIGARETTES AND OTHER TOBACCO PRODUCTS (PROHIBITION OF ADVERTISEMENT AND REGULATION OF TRADE AND COMMERCE, PRODUCTION, SUPPLY AND DISTRIBUTION) MADHYA PRADESH AMENDMENT ACT, 2023

Received the assent of the President on the 17th December 2023; assent first Published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated, the 27th December 2023

An Act to amend the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 in its application to the State of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy-fourth year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

- 1. (1) This Act may be called the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Madhya Pradesh Amendment Act, 2023.
 - (2) It shall come into force from the date of its publication in official Gazette.

Amendment of Central Act No. 34 of 2003 in its application to the State of Madhya Pradesh. 2. The Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (No. 34 of 2003) (hereinafter referred to as the principal Act), in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Section 3.

- 3. In Section 3 of the principal Act,—
 - (i) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—
 - "(ca) "establishment" means a residential hotel, restaurant, eating-house, or other place of public amusement or entertainment and includes such other establishment of like nature as the State Government may, by notification, declare;";
 - (ii) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:—
 - "hookah bar" means an establishment where people gather to smoke tobacco or other similar products from a communal hookah or narghile which is provided individually or jointly;".

Insertion of Section 4A.

ser primary brown an

4. After Section 4 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Prohibition of hookah bar.

- "4A. Notwithstanding anything contained in this Act, no person shall, either on his own or on behalf of any other person, open or run any hookah bar in any place including the eating house.
 - **Explanation.**—For the purpose of this Section, the term "eating house" means any place where food or refreshment of any kind is provided for visitors or sold for consumption therein.".

Amendment of Section 12.

- 5. In Section 12 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (b), for full stop, semi colon and word "or" shall be substituted and thereafter the following new clause shall be inserted, namely:—
 - "(c) where any hookah bar is being run."

6. After section 13 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Insertion of Section 13A.

"13A. If any police officer, not below the rank of Sub-Inspector or officer of any rank authorized by the State Government, has reason to believe that the provisions of Section 4A have been, or are being, contravened, he may seize any material or article used as a subject or means of hookah bar.".

Power to seize material or article of hookah bar.

7. After section 21 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Insertion of Section 21A.

"21A. Whoever contravenes the provisions of section 4A, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years but which shall not be less than one year and with fine which may extend to one lakh rupees but which shall not be less than fifty thousand rupees."

Punishment for running hookah bar.

8. After section 27 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Insertion of Section 27A.

"27A. An offence under section 4A shall be cognizable.".

Offence under Section 4A to be cognizable.